मोहनलाल / मुकेश /

पत्रावली पेश हुई। P.O. का दौरा / अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक ... को पेश हो।

(अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश। शामिल पत्रावली किया गया।)

27/7/22

~~25/7/22~~
25/7/22

25/7/22 पत्रावली आज पेश हुई एडवोकेट प्रार्थी एवं एडवोकेट अप्रार्थीगण उपस्थित उपस्थित। वकुलाम से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 व 12 वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र बाबत वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अन्तर्गत धारा 5 व 12 का प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय हाजा से निवेदन किया कि प्रार्थीगण के दो पुत्र है जो की दोनों ही पुत्र लगभग 45,000 रु. प्रतिमाह कमाते है तथा मार्केटिंग का काम करते है तथा प्रार्थीगण के द्वारा अपने जीवन काल में मेहनत मजदूरी करके राधाकिशन कॉलोनी चौखला मार्केट में एक प्लाट का निर्माण स्वयं के पैसों से करवाया है। उक्त प्लाट पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण साथ में रहते थे। तथा अब तक साथ अप्रार्थीगण का सारा खर्चा पढाई लिखाई शादी का खर्चा भी प्रार्थीगण के द्वारा ही किया गया है किन्तु अब आज प्रार्थीगण वृद्ध हो गये है तो अप्रार्थीगण के द्वारा अब

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

मोहन लाल / हरि० शर्मा   भरण-पोषण पत्र १८,८

दिनांक उत्तर या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	प्रार्थीगिण के खर्च उठाने से कतराने लगे तथा एक दूसरे पर खर्चा करने हेतु टालने लगे तथा प्रार्थीगिण के पुत्र व उनकी पत्नियां एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगे साथ ही प्रार्थीगिण के साथ मारपीट व गाली गलौच करने लगे जिसकी प्रार्थीगिण के द्वारा थाना बस्सी मे प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दी गई जिसके एफ आई.आर नं० 296/2021 है जो जेर अनुसंधान है तथा प्रार्थीगिण को घर से बाहर निकाल दिया है व प्रार्थीगिण को घर मे घुसने नहीं देते है। अत: प्रार्थीगिण को अप्रार्थीगिण से अपने दवाई व रहने व खर्च खाना इत्यादी हेतु 15,000 रु प्रतिमाह दिलवाए तथा भरण पोषण की राशी प्रतिमाह नहीं दिये जाने की स्थिति मे प्रार्थीगिण का मकान अप्रार्थीगिण से खाली करवाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना न्यायालय हाजा से की।	
	अप्रार्थीगिण के द्वारा अपने जवाब के माध्यम से वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगिण संख्या 1 आये दिन बिमार रहता है तथा 5 हजार से 7 हजार रु प्रतिमाह की दवाई खाता है व मजदूरी ही करता है तथा अप्रार्थी संख्या 2 व उसकी पत्नि स्वयं मजदूरी करके अपना घर वहन करती है तथा अपना	

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	खर्चा उठाते है तथा उनके व उनकी पत्नियो के द्वारा कभी-भी प्रार्थीगण के साथ मारपीट व गाली गलौच नहीं की गई है तथा प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को इन्कारी के साथ जवाब के माध्यम से दिए गये कथनो को अपनी बहस मे दोहराया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने की प्रार्थना न्यायालय हाजा से की गई न्यायालय हाजा के द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र व पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजो का सावधानी पूर्वक अवलोकन किये जाने पश्चात एवं वकील उभयपक्षो के द्वारा कि गई बहस का बगौर मनन करने के पश्चात हम पाते है कि प्रार्थीगणो के पास अपनी आजीविका चलाने के कोई मजबूत व ठोस साधन नही है। परन्तु प्रार्थीगणो के द्वारा अप्रार्थीगणो से प्रतिमाह 15,000 रु चाहा गया अनुतोष भी दिलवाया जाना उचित नही है न्यायालय के द्वारा न्यायहित मे अप्रार्थीगणो को यह आदेश दिया जाता है कि वह प्रत्येक प्रार्थीगणो के खाते मे 2000 रु प्रतिमाह इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट के रूप मे जमा करवाए या फिर दोनो अप्रार्थीगण [illegible]

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

दिनांक और व कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	अपने जॉइन्ट अकाउन्ट खुलवाकर स्वयं के द्वारा प्रमाणित पास बुक की कॉपी प्रति न्यायालय में पेश करे जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 1 - 2000 रु प्रतिमाह एवं अप्रार्थी संख्या 2 2000 रु प्रतिमाह ECS इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट के माध्यम से पेमेन्ट जमा करवायेंगे या फिर प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 2 स्वयं का पृथक-पृथक से अकाउन्ट खुलवाकर स्वयं के द्वारा प्रमाणित पास बुक की कॉपी प्रति पेश करे जिससे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थी संख्या 1 व 2 के खाते पृथक-पृथक से 1000 रु - 1000 रु ECS चालू करवाकर पैसे प्रतिमाह जमा करावे। उक्त आदेश की पालना थानाधिकारी थाना बस्सी आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करे पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होने पर दाखिल दफ्तर हो न्यायालय हाजा के निर्णय की पालना हेतु थानाधिकारी थाना बस्सी को लिखा जावे। निर्णय आज दिनांक 25/7/22 को खुले न्यायालय एवं सरेइजलास सुनाया गया (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)	

थानाधिकारी बस्सी
कोतवाली
602
30/8/22